संख्या- 49/2024/66/35-4-2024/35-4099/21/2024

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ,दिनांक: 08 फरवरी,2024

विषय: जनपद लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद लखनऊ में शासनादेश संख्या-568/2023/1266/35-4-2023, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित 40 कार्यों में से 09 कार्यों हेतु (शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 के क्रमांक-18,22,23,29,33,34,36,38 व 40 तक) रू0 124.08 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 62.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी लखनऊ के पत्रांक-07/त्व0आ0वि0यो0/2023-24,दिनांक 04जनवरी,2024द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत 09 कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण व्यय होना इंगित करते हुये अवशेष धनराशि की मांग की गयी है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष रू0 62.02 लाख (रूपये बासठ लाख दो हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू. लाख में)

क्र0	**कार्य**	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त** धनराशि
1	विनीतखण्ड गोमती नगर में मकान नं0-ई-3/269 से ई-3/296 तक इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	08.52	04.26	04.26
2	राजीव गांधी द्वितीय वार्ड साई इन्क्लेव कालोनी विजय नगर गोमतीनगर एक्सटेंशन में इंटरलांकिग व नाली निर्माण कार्य।	05.08	02.54	02.54
3	शंकरपुरवा-2 वार्ड रणजीत के मकान से आखिरी घर तक निकट प्रगति बिहार स्कूल तक इंटरलाकिंग कार्य।	05.06	02.53	02.53
4	सरनवाल के घर से एस0पी0सिंह के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य।	17.43	08.72	08.71
5	इस्माइलगंज-2 वार्ड श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय के घर से लिंक रोड तक तकरोही फतहा पुरवा तक	16.05	08.03	08.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	इंटरलाकिंग का कार्य।			
6	महानगर वार्ड 17/4 विष्णु पुरी कालोनी से मेन रोड तक इंटरलाकिंग का कार्य।	05.84	02.92	02.92
7	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड अभिलाषा स्कूल रोड विष्णु विहार हनुमन्तपुरम में सड़क इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	46.13	23.07	23.06
8	आयोध्यादास प्रथम वार्ड कैलाश दीक्षित के मकान से राजकुमार मिश्रा के मकान तक, मिठाई लाल के मकान से संजय प्रकाश तक, अनिल मौर्या के मकान से दिनेश सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग।	10.69	05.35	05.34
9	बजरंगबली वार्ड मटरू के घर से राजन की दुकान तक सेक्टर एल इंटरलाकिंग कार्य।	09.28	04.64	04.64
	कुल योग-	124.08	62.06	62.02

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या:10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 62,02,000 (रूपये बासठ लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या:10/2023/बी-1-602/दस-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-49/2024/66(1)/35-4-2024/35-4099/21/2024-तदिदनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी लखनऊ ।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,लखनऊ ।
14- संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रान्सफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।